



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला - देवास (म.प्र.)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र


एआरटी क्लिनिक (स्तर -1 / स्तर - 2) एआरटी बैक

प्रमाण पत्र संख्या - MP/DWS/ART/Level-2 Clinic/No./02

1. सहायताप्राप्त जनजातीय प्रोद्योगिकी (विनिमय) अधिनियम, 2021 की धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुचित प्राधिकारी जिला देवास उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सहायताप्राप्त जनजातीय प्रोद्योगिकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित एआरटी क्लिनिक को को समाप्त होने वाली 19.04.26 की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हैं।

- (a) एआरटी क्लिनिक का नाम और पता - Khare Nursing Home
201- Mahaveer Nagar Dewas
- (b) संस्था का प्रकार (सरकारी / निजी) - निजी
- (c) सुविधा का प्रकार : स्तर 1 / स्तर 2 - स्तर 2

2. यह रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम और उसके अधीन प्रदान किया जाता है और इनके किसी भी उलंघन का प्रमाण पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलम्बन या निरस्तीकरण होगा।
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या आवंटित की गई - MP/DWS/ART/Level-2 Clinic/No./02
4. केवल रजिस्ट्रीकरण के नविकृत प्रमाण प्रारूप के लिए रजिस्ट्रीकरण के पहले प्रमाण प्रारूप की वैधता की अवधि 20.04.23 से 19.04.26 तक।


समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर


नाम एवं पद नाम

जिला सक्षम प्राधिकारी
पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी.

तारीख - 20.04.23

स्थान - देवास

इस प्रमाणपत्र की एक प्रति व्यवसाय के स्थान पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करे।


20/4/23